

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.23()स्था/निकाशि/RVRES/2012/388

दिनांक:- 29-5-12

सचिव,
प्रबन्ध समिति,
समस्त पूर्व अनुदानित महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय:- राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत राजकीय सेवा में कार्यग्रहण करने वाले अशैक्षणिक कार्मिकों का सेवा रिकार्ड पदस्थापित राजकीय महाविद्यालय/विद्यालय में भिजवाने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा जारी पत्रांक 91 दिनांक 24.02.12 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अशैक्षणिक कार्मिकों के सेवाभिलेख में पूर्ण प्रविष्टियाँ कर राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत राजकीय सेवा में कार्यग्रहण करने वाले अशैक्षणिक कार्मिकों का सेवा रिकार्ड विभाग के आदेशानुसार जिन अशैक्षणिक कार्मिकों का पदस्थापन राजकीय महाविद्यालय में किया गया है उनका सेवाभिलेख पदस्थापित राजकीय महाविद्यालयों में भिजवावे तथा जिन अशैक्षणिक कार्मिकों को विद्यालय शिक्षा सेवा में भेजा गया है उनका सेवा रिकार्ड विद्यालय में पदस्थापन होने के पश्चात पदस्थापित विद्यालय को प्रेषित करावे।

निदेशक

कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, सचिवालय, जयपुर
3. उप शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (गुप-5) विभाग, सचिवालय, जयपुर
4. उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा (गुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
5. निजी सचिव, निदेशक कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर ।
6. निदेशक, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, बीकानेर ।
7. संयुक्त निदेशक (अनुदान/प्रशासन/अकादमी/योजना)कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर
8. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर ।
9. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राज., जयपुर ।
10. समस्त शैक्षणिक कार्मिक RVRES
- 11- डॉ.धीरेन्द्र देवर्षि, बेबसाइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, जयपुर
- 12- रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर